Issue
21/6/19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक नर्माण विभाग,लखनऊ
(सामान्य वर्ग)

पत्रांक 7366 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–103 / 2009 दिनांक 21/06/2019

कार्यालय ज्ञाप

एस0के0डी0 सिटी प्रोजक्ट्स प्रा0लि0, 3/247 ए विधायकपुरम् रेलवे स्टेशन रोड गोमतीनगर, लखनऊ का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय पत्रांक–4783एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम– 103 / 09, दि0–15.07.2009 एवं अन्तिम नवीनीकरण इस कार्यालय पत्रांक–15468 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–103 / 09, दिनॉक–22.11.2018 द्वारा **दिनांक–30.06.2021** तक के लिए किया गया है। जिसमें कम्पनी के निदेशक 1. श्री असीम दुबे **2.** आशीष दुबे **3.** श्री शिव गुलाम दुबे है।

जनपद सुल्तानपुर में केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत इनायतपुर धोपा (फुलौना) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु अनुबन्ध सं0–28एस0ई0–सु0अ0वृत्त / 16–17, दिनॉक–14.09.2016 लागत रु0–9,02,07,138.00 का गठित किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 14.09.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.03.2018 निर्धारित थी। निष्पादित अनुबन्ध में पी0डब्ल्यू0डी0 टी0–2 के वर्ग 4 की सामान्य शर्तें अनुबन्ध का भाग है।

पी0डब्ल्यू0डी0 टी0–2 के वर्ग 4 के कान्ट्रैक्ट की सामान्य शर्तों की शर्त सं0–30 व 32 के अनुसार अनुबन्धित कार्य कराया जाना था

30.1 The Engineer shall check the Contractor's work and notify the contractor of any Defects that are found. Such checking shall not affect the Contractor's responsibilities. The Engineer may instruct the Contractor to search for a Defect and to uncover and test any work that the Engineer considers may have a Defect.

32.1.1 The Engineer shall give notice to the Contractor of any Defects before the end of the Defects Liability Period, which begins at Completion of work. The Defect Liability Period shall be extended for as long as Defects remain to be corrected.

32.1.2 Every time notice to Defect/Defects is given, the Contractor shall correct the notified Defect/Defects within the duration of time specified by the Engineer's notice.

आपके द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उपरोक्त कार्य सम्पादित नहीं कराया गया, उक्त अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण न किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–3595एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–103 / 09 दिनांक–01.04.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। जिसका उत्तर सम्बन्धित कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक– 16.04.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षण कारण बताओ नोटिस, उपलब्ध अभिलेखों, प्राविधानों एवं संविदा शर्तों के परिपेक्ष्य में किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं कारित किये जाने की पुष्टि होती है:–

कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया, जो अनुबन्ध पी0डब्ल्यू0डी0 टी0–2 की शर्तों के सेक्शन–4 क्लाज–52.2 (e) का स्पष्ट उल्लंधन है। स्टेट लेबिल कमेटी द्वारा दिनांक–03.01.2018 को मार्ग के कि0मी0–10.050 डी0बी0एम0 की मोटाई 49एमएम एवं बिटुमिन केटेन्ट 4.13 प्रतिशत पाया गया है तथा डब्लू0एम0एम0 की ग्रेडिंग असंतोषजनक पायी गयी। इस प्रकार आपका कार्य अधोमानक पाया गया। अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर–अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0 सुल्तानपुर के पत्र सं0–744 / 1कैम्प–एस.एल.सी.– सु0अ0वृ0 / 19, दिनांक–19.03.2019 के द्वारा नोटिस दिए जाने के उपरान्त भी अधोमानक कार्य को ठीक नहीं किया गया। इस प्रकार आप द्वारा अनुबन्ध की शर्तों / मानक के विपरीत मनमानेपूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे शासन व विभाग की छवि आम नागरिक के समक्ष धूमिल हो रही है। उक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में कम्पनी / निदेशक द्वारा दिया गया उत्तर बलहीन एव निरस्त करने योग्य है।

अतः शासनादेश सं0–2365एम.एस. / 23–पी.डब्ल्यू.–41एम.एस. / 1954, दिनॉकः 24–08–1982 एव ठेकेदारों के लिये वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली संख्या–362 एम0टी0जी0 / 70एफ0–68, दिनॉकः 08–10–1982 उपयुक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–4127 एम0एस0 / 23सा0नि0अनु0 (7), दिनॉकः 02–12–1974 के अन्तर्गत एस0के0डी0 सिटी प्रोजक्ट्स प्रा0लि0, 3/247 ए विधायकपुरम् विनय खण्ड–3 गोमतीनगर, लखनऊ एवं उसके निदेशको श्री असीम दुबे, आशीष दुबे एवं श्री शिव गुलाम दुबे को अनुबन्ध की शर्तों के उल्लघन का दोषी पाये जाने के कारण इस कार्यालय पत्र संख्या–15468 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–103 / 09, दिनॉक–22.11.2018 द्वारा दिनॉक–30.06.2021 तक के लिए किये गए उपरोक्त पंजीकरण को निरस्त करते हुये उक्त कम्पनी / निदेशको को **"काली सूची"** में डाले जाने के आदेश एतदद्वारा पारित किए जाते है।

21/6/19
(प्रमेश गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
3. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लो0नि0वि0, अयोध्या को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–12.06.2019 के संदर्भ में।
5. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर–अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0 सुल्तानपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूराइज्ड खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, सुल्तानपुर को उपरोक्त आदेश की चार अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

[illegible]

11. एस0के0डी0 सिटी प्रोजक्टस प्रा0लि0, 3/247 ए विधायकपुरम् रेलवे स्टेशन रोड गोमतीनगर, लखनऊ ।
12. श्री असीम दुबे/श्री आशीष दुबे/श्री शिव गुलाम दुबे निदेशक एस0के0डी0 सिटी प्रोजक्ट्स प्रा0 लि0, 3/247ए, विधायकपुरम रेलवे स्टेशन रोड गोमतीनगर, लखनऊ

(सन्तोष कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ